

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, उधोग भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन : 2227416, 5188112 फैक्स नं. 2227723)

प.1(6)ग्रा.वि./आरजीएवीपी/2011/7618-39

657-710

जयपुर, दिनांक : 26.12.2013

30

आदेश

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के अन्तर्गत राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई एवं जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों में विशेष चयन के माध्यम से चयनित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पीएफटी मैनेजर/कॉर्डिनेटर को दिनांक 31.12.2013 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पीएफटी मैनेजर/कॉर्डिनेटर द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया जा सका है, उनकी कार्यग्रहण अवधि दिनांक 31.01.2014 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

Sd.

सुबीर कुमार (I.A.S.)

स्टेट मिशन डायरेक्टर,

आजीविका परियोजनाएँ एवं

स्वयं सहायता समूह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सहायक, अति मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामिण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कुल शिक्षा।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा।
8. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
9. प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
10. संबंधित जिला कलक्टर.....
11. संबंधित निदेशक.....
12. परियोजना निदेशक (लाईवलीहुड), आरआरएलपी।
13. उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा संभाग।
14. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा.....
15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.....
16. संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक.....
17. संबंधित कोषाधिकारी.....
18. संबंधित संस्था प्रधान
19. संबंधित कार्मिक.....
20. लंखा शाखा/कैशियर, आरजीएवीपी जयपुर।
21. रक्षित पत्रावली।

Dr

(डॉ रश्मि शर्मा)

परियोजना निदेशक

आजीविका परियोजनाएँ एवं

स्वयं सहायता समूह

